बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं.

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.6.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विरुद्ध [illegible] आदेश डिक्री किया जाकर फाइनल डिक्री जारी की गई। रिसीवर निर्णय [illegible] जाकर आ.पत्रा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 159/2017

तारीख दायरा 17.11.2017

उनवान

1. धन्ना लाल आत्मज किशन गोपाल जाति मीणा, निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राम दयाल आत्मज किशन गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती शान्ति बाई पुत्री किशन गोपाल पत्नी किशनचंद जाति मीणा निवासी म० नं० 644 बालाजी नगर कोटा।
2. बजरंग लाल पुत्र कजोड,
3. भैरू लाल पुत्र कजोड,
4. राम प्रहलाद पुत्र कजोड,
5. महेन्द्र कुमार पुत्र कजोड,
6. दिनेश कुमार पुत्र कजोड,
7. श्रीमती मांगी बाई पत्नी कजोड (डिलीट) जाति मीणा निवासीगण ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा–325601
8. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री कजोड पत्नी बृजमोहन जाति मीणा निवासी ग्राम छीकली तहसील खानपुर जिला झालावाड।
9. श्रीमती लटूर बाई पुत्री कजोड पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी ग्राम विनोदकंला तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. श्रीमती नट्टी बाई पुत्री कजोड पत्नी चिन्ताराम जाति मीणा निवासी राजीहेडा तहसील बहोतबडा जिला बांरा।
11. श्रीमती भूलीबाई पुत्री कजोड पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी ग्राम भीमखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड।

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

12. शाखा प्रबन्धक कोटा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

13. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद जिला कोटा।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण)

दिनांक :— 30/6/25

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रतिवादी सं 2 ता 6)

— निर्णय —

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वास्ते विभाजन व घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 54, 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का वाद पेश किया कि —

- वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 शान्ति बाई के पिता किशन गोपाल, प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 व प्रतिवादी क्रम 8 लगायत 11 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 7 के पति कजोड दोनों सगे भाई थे, जिनकी कृषि भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं पृथक—पृथक कब्जे काश्त की विरासतन प्राप्त निम्न विवरण की कृषि भूमियां रही है—

ग्राम	खाता संख्या नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
तालछी	नई 4 पुरानी 4	43	0.58
		44	1.12
		57	1.15
		77	1.37
		121	1.28

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

		156	0.26
		159	0.27
		160	0.19
		188	0.04
		261	0.03
		262	0.74
		264	0.15
		297	1.34
		298	0.07
		302	0.32
		303	0.01
		कुल 16 किता की कुल 8.92 है. भूमि	

- उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व अभिलेख में वादीगण का संयुक्त रूप से 5/8, प्रतिवादी क्रम 1 का 1/8 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी सं. 1 धन्नालाल का हिस्सा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर तथा वादी सं. 2 राम दयाल का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद के यहां रहन दर्ज है।

ग्राम	खाता संख्या नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
तालछी	नई 21 पुरानी 20	22	0.01
		23	2.95
		24	0.70
		28	0.86
		157	0.03
		219	0.02
		220	0.05
		221	0.06
		314	2.04
		कुल 9 किता की कुल 6.72 है. भूमि	

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विवरण की आराजीयात में वर्तमान राजस्व अभिलेख में 1/2 हिस्से में संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 का संयुक्त रूप से खाता दर्ज है। इस आराजीयात में से वादी रामदयाल का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद में रहन दर्ज है।

- ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नया 8 पुराना 7 के खसरा नम्बर 105 की 2.32 है० आराजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अभिलेख अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज खाता है। इस आराजी में भी वादी सं. 2 का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद के यहां रहन दर्ज है।
- ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नया 74 पुराना 78 के खसरा नम्बर 55 की 2.81 है० तथा खसरा नम्बर 56 की 2.00 है० कुल किता 2 की 4.81 है० आराजीयात के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त रूप से तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 का नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज है जिसमें से वादी का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद के यहां पर रहन दर्ज है।

- उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्वर्गीय किशन गोपाल, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 व 8 लगायत 11 के पिता व प्रतिवादी सं. 7 स्व० मांगी बाई के पति कजोड के संयुक्त खाते की रही है। किशन गोपाल की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त रूप से खाते दर्ज हुई तथा कजोड की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 के नाम संयुक्त खाते दर्ज हुई। पक्षकारान मुकदमा अनुसूचित जनजाति मीणा होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण मृतक खातेदारान के पुत्र जीवित होते हुये पुत्रीयों का कोई हक नहीं बनने से प्रतिवादी सं. 1 का नाम निरस्त करवाकर वादीगण किशन गोपाल के हिस्से की आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता किशन गोपाल व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 व 8 लगायत 11 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 7 के पति कजोड जी के जीवनकाल में ही उक्त वर्णित आराजीयात का परस्पर विभाजन कर लिया था जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 अपने हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद ज़िला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

आई आराजीयात को परस्पर सहमति से काश्त करते आ रहे हैं। विभाजन निम्न प्रकार हुआ था–

- वादी सं. 1 धन्नालाल के हिस्से में आई आराजीयात :–

ग्राम तालछी की आराजीयात में से खसरा नम्बर 43 की 0.58 है०, खसरा नम्बर 44 की 1.12 है0, खसरा नम्बर 57 की 1.15 है० में से पूर्वी तरफ की 0.57 है०, खसरा नम्बर 159 की 0.27 है० में से पूर्वी तरफ की 0.19 है०, खसरा नम्बर 160 की 0.19 है०, खसरा नम्बर 297 की 1.34 है0 में से 0.70 है० पश्चिमी तथा खसरा नम्बर 262 की 0.74 है0 में से 0.16 है० पश्चिमी तरफ की कुल किता 7 की 3.51 है. आराजीयात एवं खसरा नम्बर 23 की 2.95 है० में से उत्तरी तरफ की 0.67 है०, खसरा नम्बर 24 की 0.70 है०, खसरा नम्बर 28 की 0.86 है०, खसरा नम्बर 219 की 0.02 है0 में से 0.01 है० पश्चिमी, खसरा नम्बर 220 की 0.05 है० कुल किता 5 की 2.29 है० आराजीयात, ग्राम हरीपुरा की आराजीयात में से खसरा नम्बर 55 की 2.81 है० आराजी में से दक्षिणी तरफ की 1.20 है० आराजी वादी धन्नालाल के हिस्से में आई।

- वादी सं. 2 रामदयाल के हिस्से में आई आराजीयात :–

ग्राम तालछी की आराजीयात में से खसरा नम्बर 57 की 1.15 है0 आराजी में से पश्चिमी तरफ 0.58 है०, खसरा नम्बर 121 की 1.28 है०. खसरा नम्बर 262 की 0.74 है0 में से 0.34 है० पूर्वी तरफ की व खसरा नम्बर 261 की 0.03 है०, खसरा नम्बर 264 की 0.15 है०, खसरा नम्बर 297 की 1.34 है0 में से 0.64 है० पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 298 की 0.07 है०, खसरा नम्बर 302 की 0.32 है०, खसरा नम्बर 303 की 0.01 है०, खसरा नम्बर 159 की 0.27 है0 में से 0.08 है० कुल किता 9 की 3.50 है० आराजीयात। इसी प्रकार खसरा नम्बर 22 की 0.01 है० तथा खसरा नम्बर 23 की 2.95 है० आराजी में से 2.28 है० दक्षिणी तरफ की व खसरा नम्बर 157 की 0.03 है० कुल किता 3 की 2.32 है० आराजी, इसी प्रकार ग्राम हरीपुरा की आराजीयात में से खसरा नम्बर 56 की 2.00 है० आराजी में से 1.00 है० आराजी पश्चिमी तरफ की तथा खसरा नम्बर 55 की 2.81 है० आराजी में से 0.21 है० पश्चिमी तरफ कुल किता 2 की 1.21 है० आराजीयात वादी सं. 2 रामदयाल के हिस्से में आई है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 के संयुक्त खाते व संयुक्त रूप से हिस्से में आई आराजीयात :-

ग्राम तालछी की आराजी में से खसरा नम्बर 77 की 1.37 है०, खसरा नम्बर 156 की 0.26 है०, खसरा नम्बर 262 की 0.74 है0 में से 0.24 है० उत्तर पश्चिम कोने की कुल किता 3 की 1.87 है0 आराजीयात, ग्राम तालछी की आराजीयात में से खसरा नम्बर 214 की 2.04 है०, खसरा नम्बर 221 की 0.06 है० तथा खसरा नम्बर 219 की 0.02 है० में से उत्तर पूर्वी कोने की 0.01 है० कुल किता 3 की 2.07 है० आराजीयात, ग्राम बोरदा के खसरा नम्बर 105 की 2.32 है० आराजीयात तथा ग्राम हरीपुरा के खसरा नम्बर 55 की 2.81 है0 में से 1.40 है० उत्तरी तरफ की आराजी तथा खसरा नम्बर 56 की 2.00 है0 में से 1.00 है० उत्तरी तरफ की कुल किता 2 की 3.40 है० आराजीयात प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 के हिस्से में आई।

ग्राम तालछी के खसरा नम्बर 188 की 0.04 है० आराजी में 1/2 हिस्से में वादीगण व 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 का हक बनता है जो संयुक्त रूप से ही रहेगा।

- उक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमियों के विभाजन के लिये वादीगण ने प्रतिवादीगण के विभाजन कराने के लिये तैयार ना होने पर यह वाद पेश किया है जिसमें पक्षकारान मुकदमा के मध्य हिस्से विशेष में आने वाली आराजीयात पर बैंक का प्रभार का अंकन किये जाने का भी निवेदन किया।
- उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 8 लगायत 14 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की समस्त प्लीडिंग स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 8 लगायत 11 जो मृतक कजोड की पुत्रीया है, का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से कोई हिस्सा नहीं बनने के कारण विवादित आराजीयात से उनका नाम राजस्व अभिलेखों से हटाये जाने की घोषणा की डिक्री पारित करने के लिये निवेदन किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी सं. 7 का देहान्त होने से उसका नाम डिलीट किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

* वाद पत्र व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया पक्षकारान मुकदमा अनुसूचित जनजाति मीणा होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू न होने से प्रतिवादी कम 1, 8, 9, 10, 11 का नाम राजस्व अभिलेखो से निरस्त करवाकर वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से का वादीगण को एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10, 11 के हिस्से का प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। – वादीगण
2. आया वादीगण वाद पत्र की मद कम 5 के उपमद (क) मद में वर्णित आराजीयात वादी कम 1 धन्नालाल के उपमद (ख) मद मे वर्णित आराजीयात वादी कम 2 रामदयाल के तथा उपमद (ग) मद में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी कम 2 लगायत काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। – वादीगण
3. आया विवादित आराजीयात मे प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 मृतक कजोड के हिस्से की आराजीयात को अपने नाम सहखातेदार के रूप मे घोषित करवाकर विभाजन की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है। – प्रतिवादीगण
4. सहायता।

* वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम तालछी खाता संख्या 4 प्रदर्श 1, खाता संख्या 21 ग्राम तालछी प्रदर्श 2, खाता संख्या 8 ग्राम बोरदा प्रदर्श 3 तथा खाता संख्या 74 ग्राम हरीपुरा प्रदर्श 4 व रिलीज डीड दिनांक 24.12.2024 जो प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत की और साक्ष्य के रूप में वादी क्रम 1 पीडल्ब्यू 1 धन्नालाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 ने पीडब्लयू 1 धन्नालाल से जिरह नहीं की व मौखिक रूप से निवेदन किया कि मीणा जाति अनुसूचित जनजाति के होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने प्रतिवादी सं. 8 लगायत 11 का नाम वादग्रस्त आराजीयात से हटाया जाकर मृतक कजोड के 1/2 हिस्से की आराजीयात मौके पर काबिज काश्त के आधार पर संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 6 सहखातेदार घोषित करते हुये 1/2 हिस्से का संयुक्त रूप से विभाजन कर दिया जावे।

- मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का आध्योपान्त अवलोकन किया। तनकी सं. 1 व 3 एक दूसरे से सम्बन्धित होने से एक साथ ही निर्णित करना उचित समझता हूं। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता किशन गोपाल तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 के पिता कजोड जो आपस मे सगे भाई थे जो मीणा जाति के होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू न होने से वादग्रस्त आराजीयात के खाते से प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 8 लगायत 11 जो क्रमशः किशन गोपाल व कजोड की पुत्रीया है, का हक विरासतन हिस्सा नहीं बनने से उनका नाम वादग्रस्त आराजीयात सेहटाने की घोषणा की डिकी पारित करना उचित समझता हूं। जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर **RRT 2024(2) Page 887 Rajasthan High Court Babulal etc- Vs Ramsingh etc.** में उद्धरित किया गया है **Parties belongs to Meena Comuntity and the sisters are not entitled to any share in the ancestral property since Petiion Dismissed.** इस प्रकार तनकी सं. 1 बहक वादीगण, तनकी सं. 3 बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।
- तनकी सं. 2 के संबंध मे वादीगण व प्रतिववादी सं. 2 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के मुताबिक राजस्व अभिलेखो मे अंकित हिस्से में से प्रतिवादी सं. 1 शान्ति बाई का नाम हटाने पर वादीगण अपने पिता किशन गोपाल के हिस्से में आराजीयात के खातेदार होने की तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 उनके पिता कजोड के हिस्से की आराजीयात के संयुक्त रूप से सहखातेदार होने की घोषणा की डिकी पारित करवाने के अधिकारी होने से उक्त हिस्सेनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाकर पृथक राजलगान अंकन करोन व दखल प्राप्त करने के अधिकारी है।
- अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से दिनांक 03.02.2025 को वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिये गये कि ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता संख्या नया 4 पुराना 4 के खसरा नम्बर 43 की 0.58 80, खसरा नम्बर 44 की 1.12 है0, खसरा नम्बर 57 की 1.15 है०, खसरा नम्बर 77 की 1.37 है०, खसरा नम्बर 121 की 1.28 है०, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

156 की 0.26 है०, खसरा नम्बर 159 की 0.27 है०, खसरा नम्बर 160 की 0.19 है०, खसरा नम्बर 188 की 0.04 है०, खसरा नम्बर 261 की 0. 03 है०, खसरा नम्बर 262 की 0.74 है०, खसरा नम्बर 264 की 0.15 है०. खसरा नम्बर 297 की 1. 34 है0. 298 की 0.07 है०, खसरा नम्बर 302 की 0.32 है०, खसरा नम्बर 303 की 0.02 है० कुल किता 16 की 8.92 है० आराजीयात के राजस्व अभिलेख में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के सहखातेदार होने, ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या नया 21 पुराना 20 के खसरा नम्बर 22 की 0. 01 है०, खसरा नम्बर 23 की 2.95 है०, खसरा नम्बर 24 की 0.70 है०, खसरा नम्बर 28 की 0.86 है०, खसरा नम्बर 157 की 0.03 है०, खसरा नम्बर 219 की 0. 02 है०, खसरा नम्बर 220 की 0.05 है०, खसरा नम्बर 221 की 0.06 है०, खसरा नम्बर 314 की 2.04 है० कुल किता 9 की 6.72 है० आराजीयात में 1/2 हिस्से मे संयुक्त रूप से वादीगण तथा 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 होने, ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नया 8 पुराना 7 के खसरा नम्बर 105 की 2.32 है० आराजी में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होने तथा ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नया 74 पुराना 78 के खसरा नम्बर 55 की 2.81 है० तथा खसरा नम्बर 56 की 2. 00 है० कुल किता 2 की 4.81 है० आराजीयात मे 1/2 हिस्से में वादीगण सयुक्त रूप से तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 संयुक्त रूप से सहखातेदार होने की घोषणा की डिकी पारित की गई।

- उक्त वर्णित आराजीयात का उक्त हिस्से अनुसार आपसी सहमति हो तो मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार अन्यथा अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने व पृथक राजलगान दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीशनर नियुक्त किया गया।
- इसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा भू.अभि./2025/253 दिनांक 17.02.2025 के माध्यम से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किये जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 द्वारा सहमति व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का विभाजन कर पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
बोरदा	दिनेश कुमार, बजरंगलाल, भैरूलाल, महेन्द्र कुमार, रामप्रहलाद पुत्रान कजोड जाति मीना हिस्सा प्रत्येक 1/5	105	2.32	51.04
	कुल 1 किता की कुल 2.32 है. आराजी			51.04

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
हरिपुरा	दिनेश कुमार, बजरंगलाल, भैरूलाल, महेन्द्र कुमार, रामप्रहलाद पुत्रान कजोड जाति मीना हिस्सा प्रत्येक 1/5	55 उत्तरी	1.405	30.91
		56 उत्तरी	1.00	22.00
	कुल 2 किता की कुल 2.405 है. आराजी			52.91

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
तालछी	दिनेश कुमार, बजरंगलाल, भैरूलाल, महेन्द्र कुमार, रामप्रहलाद पुत्रान कजोड जाति मीना हिस्सा प्रत्येक 1/5	156	0.26	7.02
		262 उत्तर पश्चिम	0.20	0.80
		77	1.37	30.14
		219 पूर्वी	0.01	0.27
		221	0.06	1.62
		314	2.04	44.88
	कुल 6 किता की कुल 3 .94 है. आराजी			84.73

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
हरिपुरा	रामदयाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा रहन हिस्सा संपूर्ण बैंक ऑफ बडौदा सांगोद	55 दक्षिण पश्चिम	0.205	4.51
		56 दक्षिणी	1.00	22

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

कुल 2 किता की कुल 1.205 है. आराजी 26.51

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
हरिपुरा	धन्नालाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण	55 दक्षिण	1.20	26.4

कुल 1 किता की कुल 1.20 है. आराजी 26.4

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
तालछी	रामदयाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा रहन हिस्सा संपूर्ण बैंक ऑफ बडौदा सांगोद	121	1.28	28.16
		159 पश्चिम	0.135	3.645
		261	0.03	0.12
		262 उत्तरी पूर्वी	0.27	1.08
		297 पूर्वी	0.67	14.98
		298 पूर्वी	0.035	1.54
		264	0.15	4.05
		302	0.32	2.24
		303	0.01	0.07
		57 पश्चिमी	0.575	12.80
		157	0.03	0.81
		219 उ.प.	0.005	0.27
		22	0.01	
		23 द.	2.31	50.82

कुल 14 किता की कुल 5.83 है. आराजी 120.585

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
तालछी	धन्नालाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण	159 पूर्वी	0.135	3.645
		160	0.19	5.13
		262 द.प.	0.27	1.08
		297 प.	0.67	14.98
		298 प.	0.035	1.54

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद [illegible] कोटा

Scanned with OKEN Scanner

43	0.58	12.76
44	1.12	24.64
57 पू.	0.575	12.80
219 द.प.	0.005	0.27
220	0.05	1.35
23 उ.	0.64	14.08
24	0.70	15.40
28	0.86	18.92

कुल 12 किता की कुल 5.83 है. आराजी 132.24

ग्राम	खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
तालछी	धन्नालाल, रामदयाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा हिस्सा 3/8 प्रत्येक, दिनेश कुमार, बजरंगलाल, भैरूलाल, महेन्द्र कुमार, रामप्रहलाद पुत्रान कजोड जाति मीणा हिस्सा 1/20 प्रत्येक	188	0.04	0.52

कुल 1 किता की कुल 0.04 है. आराजी 0.52

उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद